न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 772/2024

अनवान : –

1. मांगीलाल सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी सोती बडत्री तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुमेर सिंह पुत्र रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
4. मुकेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
5. दिनेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
6. विनोद कंवर पुत्री रामकुमार जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
7. मगनी देवी पुत्री राममकुमार जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
8. रूप कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
9. शारदा पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भतरसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 103/100 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के खाता स0 109/108 की कुल 4.7550 हैक्ट भूमि रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के नाम दर्ज है। रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह का देहान्त हो चुका है। रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इसलिए अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जो की वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 की बहिने है ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया है। अब वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 6 ता 9 को कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख 4 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 23 डीपीएन सम्वत 2076–79 खाता स0 103/100, रोही मौजा सौती बड़ी सम्वत 2072–75 खाता स0 109/108, मृत्यु प्रमाण रामकुमार सिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र उछव कंवर व सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के नाम दर्ज है। रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह का देहान्त हो चुका है। रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इसलिए अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जो की वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 की बहिने है ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया है। अब वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 6 ता 9 को कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख 4 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस[illegible] के अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 103/[illegible] हैक्टे भूमि एवं रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के खाता स0 109/108 की कुल 4.7[illegible] हैक्ट भूमि रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के नाम दर्ज है। रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह का देहान्त हो चुका है। रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इसलिए अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जो की वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 की बहिने है ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया है। अब वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 6 ता 9 को कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक 1/4 हिस्सा पर काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक रामकुमार सिंह के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 103/100 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के खाता स0 109/108 की कुल 4.7550 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातों में मृतक रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 772/2024
अनवान : –

1. मांगीलाल सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुमेर सिंह पुत्र रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
4. मुकेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
5. दिनेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
6. विनोद कंवर पुत्री रामकुमार जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
7. मगनी देवी पुत्री राममकुमार जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
8. रूप कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
9. शारदा पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 772 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 103/100 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के खाता स0 109/108 की कुल 4.7550 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातों में मृतक रामकुमार सिंह पुत्र रामलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर